दायरा

61

न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल सम्भाग, मुरैना (म0प्र0)

प्रकरण कमांक 03/2012–13/पुर्नविलोकन/ 1001 मुरैना, दिनांक 20.5.14

प्रति

विविध 2048-I/14

सचिव
राजस्व मण्डल
मोतीमहल ग्वालियर (म0प्र0)

विषयः– पुर्नविलोकन की अनुमति देने बावत् ।

1637 डाक पोस्ट द्वारा आज ... को प्राप्त 21-5-14 क्लर्क ... राजस्व मण्डल

राजस्व मण्डल 1637 21-5-14

विषयान्तर्गत प्रकरण कमांक 50/2009–10/निगरानी में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2012 को निगरानी निरस्त की गई थी। जिसके सम्बन्ध में आवेदक अभिभाषक द्वारा यह पुर्नविलोकन आवेदन पेश किया है ।

अतः पुर्नविलोकन की अनुमति हेतु इस न्यायालय का मूल प्रकरण पुर्नविलोकन आवेदन सहित सादर प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
(1) प्र0क्र0 03/12-13/पुनर्विलोकन
(2) अपर कलेक्टर श्योपुर का प्र0क्र0 05/2007-08/निगरानी
(3) नामान्तरण पंजी क्र. 06/25.10.67 ग्राम कुरवारी प्रक क्र. 01 लगायत 45

(ए0के0 श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त
चम्बल सम्भाग, मुरैना (म.प्र.)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2048–एक/14 जिला –श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.12.16	शासन की ओर से श्री बी0 एन0 त्यागी उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र अपर आयुक्त चंबल सभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 03/12–13 पुर्नविलोकन की अनुमति हेतु प्राप्त हुआ है। 3–शासन के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि नायब तहसीलदार के द्वारा नामांतरण पंजी पर नामांतरण स्वीकार किया है और वह आदेश अंतिम हो चुका है जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील होना थी लेकिन अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है इसलिये उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। 4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधिवक्ता की त्रुटि से निगरानी प्रस्तुत हुई है जिसके कारण पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः अपर कलेक्टर को गुणदोष पर आदेश पारित करना चाहिये था ऐसा उनके द्वारा नहीं किये जाने में भूल की है। अतः प्रकरण में पुनः सुनवाई किया जाना आवश्यक है। 5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण	

के संलग्न अभिलेखों का परिशीन किया। अनावेदक के तर्क में यह बल मिलता है कि अधिवक्ता की भूल के कारण पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग को पुर्नविलोकन की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वह पक्षकार को आहूत कर प्रकरण में सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें।

सदस्य